संख्या–549/चौवालिस-2/95-9-94

प्रेषक,

श्री आर० एस० निगम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के शासन के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 1995

विषय :– भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यक) पर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त शकधर समिति की अनुशंसाओं के सम्बन्ध में सुश्री अराधना जौहरी, विशेष सचिव, वित्त (लोक लेखा) कोष्ठक के अर्द्ध शा० प० सं० लो० ले० को०–191, दस–95-1(4)/92, दिनांक 7 मार्च, 1995 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या 1824/44-2-94-9/94, दिनांक 29-10-94, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा यथा स्वीकार की गई उक्त संस्तुतियों के अनुसार ही अब इस मामले में कार्यवाही की जायेगी। कृपया मामले में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
[आर० एस० निगम]
विशेष सचिव।

संख्या–549(1)/44-2-95-9-94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगमों/उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी
(2) वित्त लोक लेखा कोष्ठक
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
[देवी प्रसाद साहू]
अनु सचिव।